



सत्यमेव जयते  
**कुलाधिपति**  
**Chancellor**

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,

.....University,  
राज भवन, जयपुर – 302006  
**Raj Bhawan, Jaipur**  
क्रमांक : एफ.33(3)आरबी/2021 पार्ट-2/1153  
दिनांक : 03 मार्च, 2025

### आदेश

मैं, हरिभाऊ बागड़े, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2005 (यथा संशोधित) की धारा 11(1) व 11(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चयन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से प्रो. (डॉ.) प्रमोद येवले, पूर्व कुलपति, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र को कार्यभार संभालने की तिथि से पाँच वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

यह नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतर्कता अनापत्ति प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

हस्तांतर  
(हरिभाऊ बागड़े)  
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.33(3)आरबी / 2021 पार्ट-2 / 1154

दिनांक : 03 मार्च, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रो. (डॉ.) प्रमोद येवले, 601, कृष्णा अपार्टमेन्ट, जे/4 लक्ष्मीनगर, अर्थ रास्ता चौक, नागपुर-440022, महाराष्ट्र।
5. कुलसचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।

  
(डॉ. पृथ्वी)  
सचिव, राज्यपाल